संख्या- 16/2015/460/38-4-15-11(बजट)/2013

प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2015

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष-2014-15 के लिए दी गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पी0एल0ए0 में रखी अनाहरित धनराशि को आहरित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1197/सम्प्रेक्षा/लो0आ0यो0/2014-15,,दिनांक- 30 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 के लिए अनुदान संख्या-83 में दी गयी वित्तीय स्वीकृत के सापेक्ष जनपदों में अनाहरित अवशेष धनराशि **रू0-5110.848** लाख को सम्बन्धित जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के पी0एल0ए0 में रखने एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर अवशेष धनराशि **रू0-8156.975** लाख (रूपये इक्यासी करोड़ छप्पन लाख सन्तानबे हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लख्नऊ के पी0एल0ए0 में रखने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) पी0एल0ए0 में रखी गई धनराशि वित्त विभाग की अनुमति के उपरान्त ही आहरित की जायेगी तथा आहरित की गई धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-2-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक -22 जुलाई, 2014 में प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत धनराशि जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी जा रही है, यदि इसमें कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा । कोई ऐसा व्यय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा आहरित धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

2—

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण्) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-ई-2-344/दस-2015 दिनांक- 31 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

संख्या–16/2015/460 (1)/38-4-15 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त ।
3- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ।
4- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ।
6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
7- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।